भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2027

गुरूवार, 08 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

गिग इकोनॉमी कर्मकारों का डाटाबेस

2027. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गिग इकॉनमी कर्मकारों के लिए कोई समेकित डाटाबेस है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कर्मकारों को किसी प्रवृत्त श्रम संरक्षण और कल्याण योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कर्मकारों को काम पर लगाने वाले कारपोरेट के संबंध में विनियामक निगरानी रखी जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने गिग कर्मकारों के अधिकारों का संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोई नई पहल की योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" नामक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है।

उक्त संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रावधान है। संहिता के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं।
